फर्द अहकाम

गुरुदयाल बनाम कानसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या.........116......./2023 धारा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18-06-25	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी का वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसील जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)
वाद पत्र संख्या :– 116/2023 दर्ज दिनांक– 28.08.2023

उनवान

गुरूदयाल गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल, जाति गुर्जर, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01 बुढी के होटल के पीछे कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. कानसिंह पुत्र मंगेज सिंह,
2. ओमप्रकाश सिंह पुत्र मंगेज सिंह,

समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान ।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

4. कमोद कंवर पुत्री मंगेज सिंह पत्नि मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी पाथरेडी तह पावटा हाल आबाद ग्राम भूटेरी तह बानसूर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री रघुवीर सैनी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक: 18.06.2025**

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि स्थित ग्राम पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड आराजी खसरा नम्बर 1755/2164/0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0.94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 है० भूमि के के सह खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 व 02 व उनकी बहिन कमोद कंवर पुत्री मंगेज सिंह ने मुताबिक जमाबन्दी अपने हिस्से में से 0.3729 है० भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05/07/2019 को वादी को बेचान कर विक्रित भूमि का मौके पर कब्जा सौंप दिया। विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण 1 व 2 ने विक्रय पत्र दिनांक 05/07/2019 से पूर्व ही दिनांक 24/01/2018 को अपनी बहिन कमोद कंवर से उसके हिस्से की भूमि का हकत्याग अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करवा लिया था परन्तु हकत्याग पत्र से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरण का राजस्व रिकार्ड में अमल न होने के कारण दिनांक 05/07/2019 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तीनो का नाम दर्ज था [illegible] विक्रित हिस्सा सम्पूर्ण के लिए कानूनी रूप से प्रतिवादीगण [illegible] 2 ही उतरदायि थे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर दिनांक [illegible] 2019 को वादी के पक्ष में विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाने के बाद [illegible] पक्ष में पूर्व से रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से नामान्तरण का अमल दरामद करवा लिया जिससे उसकी बहिन कमोद कंवर पुत्री मंगेज सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में से हज्फ (डिलीट) हो गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

2. जब वादी अपने पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 03 के पास गया तो राजस्व रिकार्ड में कमोद कंवर का नाम नही होने के कारण नामान्तरण दर्ज करवाने से इंकार कर दिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहिन का हिस्से का हकत्याग पत्र अपने पक्ष में करवा लेने के कारण वादी को विक्रित सम्पूर्ण हिस्से के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उतरदायि है अतः वादी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में दर्ज खातेदारी में से हिस्सा 3729/34400 का अपने पक्ष में घोषणा करवाने का अधिकारी है और अदालत श्रीमान से यही विनाय वाद पत्र पेश है। विवादित खसरा नम्बर 1755/2164/ 0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0. 94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दर्ज खातेदारी में से प्रत्येक के हिस्से में से हिस्सा 18645/344000 कुल हिस्सा 3729/34400 का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विवादित भूमि अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः अदालत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।वाद पत्र उचित कोर्ट फीस 2 रू. पेश है।

3. दावाकृत अनुतोष है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थित ग्राम पाथरेडी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड आराजी खसरा नम्बर 1755/2164/0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0.94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 है० में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दर्ज खातेदारी में से प्रत्येक के हिस्से में से हिस्सा 18645/344000 कुल हिस्सा 3729/34400 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, उन्हे स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अन्य दादरसी जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

4. वादी के द्वारा वादपत्र पेश होने पर विधिवत रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की विधिवत की तामिल करवाई गई। बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य हेतू नियत की गई। साक्ष्य में साक्षी/वादी गुरूदयाल एवं रामकरण पुत्र चन्दा राम जाति माली निवासी दूदका तह कोटपूतली के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर चिफ करवाई गई तथा दस्तावेजयात पर प्रदर्श 01 लगायत 07 अंकित किये गये, शामिल मिसल है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 01 वर्तमान जमाबन्दी, प्रदर्श 02 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूल दिनांकित 08.07.2019, प्रदर्श 03 नामान्तकरण सं. 2269 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श 04 मूल हकत्याग [illegible] 24.01.2018, प्रदर्श 05 प्रमाणित जमाबन्दी 2070 से 2073, प्रदर्श 0[illegible] जमा[illegible]ी, प्रदर्श मूल विक्रय पत्र दिनांकित 17.08.2023 पेश कि[illegible] बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों तथा दस्तावेजी [illegible] आकर्षित कर वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली बहरोड़

5. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का गहनता से अध्ययन कर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में पाया गया कि प्रदर्श 07 मूल विक्रय पत्र जिसमें प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने अपने द्वारा पूर्व में विक्रित रकबा 0.3729 हैक्टेयर बरकरार रख कर शेष हिस्सा 0.0447 हैक्टयर का ही बेचान किया जिससे से जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 01 व 02 के द्वारा पूर्व में स्वयं के द्वारा विक्रित रकबा 0.3729 के प्रति सजग थे। आराजी खसरा नम्बर 1755/2164/0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0.94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 है० में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दर्ज खातेदारी में से प्रत्येक के हिस्से में से हिस्सा 906179/16718400 कुल हिस्सा 3729/34400 में से प्रतिवादी सं. 01 व 02 का नाम कलमजन किया जाकर इनके स्थान पर वादी को हिस्सा 3729/34400 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल खसरा न0 1755/2164/0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0.94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेड़ी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0 स्थित आराजी में से प्रतिवादी सं. 01 व 02 के प्रत्येक के नाम दर्ज हिस्सा 906179/16718400 के स्थान पर उनका (प्रतिवादी सं. 01 व 02) नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :– 116/2023 दर्ज दिनांक– 28.08.2023

उनवान

गुरूदयाल गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल, जाति गुर्जर, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01 बुढी के होटल के पीछे कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. कानसिंह पुत्र मंगेज सिंह,
2. ओमप्रकाश सिंह पुत्र मंगेज सिंह,

समस्त जाति राजपूत समस्त निवासी पाथरेडी तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

5. कमोद कंवर पुत्री मंगेज सिंह पत्नि मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी पाथरेडी तह पावटा हाल आबाद ग्राम भूटेरी तह बानसूर।

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री रघुवीर सैनी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेद्याज्ञा

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल खसरा न0 1755/2164/0.31, 1756/2165/0.42, 1760/0.56, 1761/0.94, 1762/0.39, 1763/0.33, 1764/0.49 कुल खसरा 07 कुल रकबा 3.4400 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पाथरेड़ी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0 स्थित आराजी में से प्रतिवादी सं. 01 व 02 के प्रत्येक के नाम दर्ज हिस्सा 906179/16718400 के स्थान पर उनका (प्रतिवादी सं. 01 व 02) नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पावटा लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 16:36:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	\	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
		जोड़	
जोड़			